



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू० / कुस०का० / स्था० / 2024 / 5402

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का छात्र-छात्राओं के बीच प्रचार-प्रसार कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या: 1/823754/2024/16-3099/206/2023 दिनांक 13.12.2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र के साथ संलग्न सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: D.O. No. 17-1(i)/2024/CSIS दिनांक 08.11.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र के साथ संलग्न शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.11.2024 में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रति कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
5. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस्ड स्टडीज, लखनऊ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा।
7. निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ।
8. प्राचार्य/अधिष्ठाता, वास्तुकला एवं योजना संकाय, लखनऊ।
9. नोडल अधिकारी, फार्मसी एण्ड मैनेजमेंट संकाय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
10. समस्त उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
11. समस्त अधिष्ठाता, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
12. स्टाफ आफीसर, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
6. निदेशक, कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
7. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13-12-2024

विषय-पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का छात्र-छात्राओं के बीच प्रचार-प्रसार कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: D.O. No. 17-1(i)/2024/CSIS दिनांक: 08.11.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

Chiraunji Lal

(चिरौंजी लाल)

उप सचिव।

Date: 13-12-2024 17:52:07

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।
2. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उ०प्र० शासन।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)

उप सचिव।

AR (Est.)
Shi Ranindm
16/12/2024
Reg
16/12/24
898

2301 PSMSME/2024

2719/2171E-3-2024

डॉ. संजय मूर्ति, स.प्र.स.

सचिव

K. SANJAY MURTHY, IAS
Secretary

Tel. : 011-23386451, 23382696
Fax : 011-23385807
E-mail : socy.dhe@nic.in



संस्कृत
संस्कृत संस्थान

भारत सरकार
Government of India
शिक्षा मंत्रालय

Ministry of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग

Department of Higher Education

127 सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
127 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

Date: 08.11.2024

D.O No. 17-1(i)/2024/CSIS

Dear Sir,

I am pleased to inform you that a new Central Sector Scheme PM- Vidyalaxmi has been approved by Union Cabinet on 06.11.2024. PM-Vidyalaxmi aims to provide financial support in the form of easy availability of collateral and guarantee free education loans to meritorious students who get admission in the top 860 quality higher educational institutions (QHEI) of India, translating to covering more than 22 lakh fresh students who get admission in these HEIs every year. Further, for students with family income upto Rs 8 lakhs, 3% interest subvention will be provided:

This is in addition to credit guarantee cover being provided for loans upto Rs 7.5 lakhs and full interest subvention being provided for technical courses to students with family income upto Rs 4.5 lakhs under PM-Uchcharat Shiksha Protsahan (PM-USP) Scheme of Department of Higher Education. Thus, PM Vidyalaxmi and PM-USP will together provide holistic support to all deserving students to pursue higher education in quality HEIs in India.

A PM-Vidyalaxmi portal is being developed by this Department for the simple, transparent and entirely digital process of this scheme. Awareness about the PM-Vidyalaxmi Scheme would give great encouragement to school students to pursue higher education in these top quality HEIs. Accordingly, the information about these Schemes may be circulated among the students so that financial constraints do not prevent any youth of India from perusing quality higher education.

Regards,

Yours sincerely,

(K. Sanjay Murthy)

Encl: As above

2026

To.

Education Secretaries of all States (both School Education and Higher & Technical Education)

सं.सचिव(उ)

1140/USTE/24
J.S./50-3

Am

2/11/24 आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
सूक्ष्म उद्योग विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन,
संयोजक, एन वेंकटरंग स्वामी एन प्रौद्योगिकी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

50-3
3/12/24

सं.सचिव
4/11/24